न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।
जी0 आर0 नं0– 94/2026
अरवल थाना काण्ड संख्या 06/2026

11.03.2026 वाद पुकारा गया। मामला साक्ष्य पर निर्धारित है। मामले में अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त कन्हैया कुमार को न्यायिक हिरासत से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त की तरफ से सुबह 11:30 बजे एक आवेदन दिया कि वह अपना दोष स्वीकार करना चाहते हैं। कम–से–कम सजा देने की कृपा की जाये।

मामले में न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को समझाया गया कि यदि वह दोष स्वीकार करता है तो उसे सजा का सामना करना पड़ेगा, जो उसके विरूद्ध होगा और उसे समय प्रदान किया गया।

तत्पश्चात शाम को 03:30 अपराह्न पर अभियुक्त कन्हैया कुमार पुनः उपस्थित हुआ और कहा कि वह दोष स्वीकार करना चाहता है। अतः न्यायालय उसके संस्वीकृति आवेदन को स्वीकार करती है और उसे भारतीय न्याय संहिता की **धारा–303(2)/62 में 02 माह 09 दिन की साधारण कारावास की सजा जो कि जेल में बितायी गयी अवधि है तथा धारा–303(2)/62 बी0एन0एस0 के अंतर्गत 30 कार्य दिवस व्यवहार न्यायालय, अरवल में सामुदायिक सेवा करने का आदेश देती है।** कार्यालय मामले के एक प्रति नजारत, व्यवहार न्यायालय, अरवल तथा अरवल थाने को प्रेषित करें तथा अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित,

(मनीष कुमार पाण्डेय)
(जे0 ओ0 कोड बी0 आर0 00961)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
अरवल।

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।
जी0 आर0 नं0– 303/2026
अरवल थाना काण्ड संख्या 02/2026

10.04.2026 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में कार्यालय के द्वारा आज मामले में दिनांक 07.04.26 को प्रस्तुत आरोप पत्र को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आरोप पत्र अभियुक्तगण 1. धनेश कुमार, 2. अभिषेक कुमार उर्फ छोटु कुमार के विरूद्ध भा. न्या. सं. की धारा–303(2), 305, 331(1), 331(3), 332(सी), 334(1), 334(2), 112, /3(5) तथा आयुध अधिनियम की धारा–27 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 125/26 दिनांक 07.04.26 समर्पित किया गया है। मामले में प्रथम सूचना प्रतिवेदन, आरोप पत्र, कांड दैनिकी के पैरा–1, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 29, 33, 43, 44, 47, 50, 51 का अवलोकन किया। समस्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय आरोप पत्र में वर्णित अभियुक्तगण 1. धनेश कुमार, 2. अभिषेक कुमार उर्फ छोटु कुमार के विरूद्ध 303(2), 305, 331(1), 331(3), 332(सी), 334(1), 334(2), 112, /3(5) तथा आयुध अधिनियम की धारा–27 में प्रथम दृष्ट्या कार्रवाई करने का आधार पाती है। अतः अभियुक्तगण **1. धनेश कुमार, 2. अभिषेक कुमार उर्फ छोटु कुमार** के विरूद्ध भा. न्या. सं. की धारा– 303(2), 305, 331(1), 331(3), 332(सी), 334(1), 334(2), 112, /3(5) तथा आयुध अधिनियम की धारा–27 में **संज्ञान** लिया जाता है। अभिलेख को निजी संचिका में रखा जाता है। एक अभियुक्त अभिषेक कुमार न्यायिक हिरासत में है, एक अभियुक्त जमानत पर है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त धनेश कुमार के विरूद्ध समन निर्गत करे।

वाद दिनांक–13.04.2026 उपस्थिति हेतु।

लेखापित,

(मनीष कुमार पाण्डेय)
(जे0 ओ0 कोड बी0 आर0 00961)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
अरवल।